

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पत्रांक: /प्रा0शि0/सेवा-04/ 1797 /वा0स्था0/2025-26

दिनांक 11 जून 2025

विषय- वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2025-26 में स्थानान्तरण किये जाने हेतु राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची के प्रख्यानपन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 282747/XXX(2)/2025-E 20917 दिनांक 17 मई 2025 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: 15503-8 दिनांक 18 मार्च 2025 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निर्धारित प्राविधानों के अधीन वर्ष 2025-26 में जनपदान्तर्गत प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनिवार्य स्थानान्तरण किये जाने प्रस्तावित हैं।

अतः उक्त के क्रम में प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पृथक-पृथक पात्रता सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलोड कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट कीजिएगा।
संलग्नक यथोपरि।

भवदीय

(एच0बी0चन्द) 11/6/25

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।